न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 102 / 2022

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. जमनादेवी पत्नि दिलिपसिंह बजरिये मुख्त्यारनामा धारक धर्मेन्द्र चौधरी पुत्र दिलिपसिंह जाति जाट निवासी ढेलाणीनाडी, धोलानाडा हाल निवासी भाम्भुओं की बेरी आडेल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र अमराराम
2. तुलछाराम पुत्र अमराराम
3. रूपाराम पुत्र परमानराम
4. रामाराम पुत्र परमानराम
5. वाली पत्नि अमराराम
6. खेमीदेवी पत्नि राजूराम
7. गवरी पत्नि खेमाराम
8. चूनीदेवी पत्नि गिरधारीराम
9. ठाकराराम पुत्र रायमलराम
10. देराजराम पुत्र सोभाराम
11. दलीदेवी पुत्री गिरधारीराम
12. पदमाराम पुत्र राजूराम
13. पुराराम पुत्र रायमलराम
14. भीखाराम पुत्र खेमाराम
15. भीखाराम पुत्र सोभाराम
16. रूगाराम पुत्र गिरधारीराम
17. राउराम पुत्र खेमाराम
18. रामाराम पुत्र गिरधारीराम
19. लालीदेवी पुत्री गिरधारीराम
20. वालीदेवी पुत्री गिरधारीराम
21. सत्यदेवी पुत्री राजूराम
22. सोनीदेवी पुत्री राजूराम
23. हनुमानराम पुत्र गिरधारीराम
24. हरखाराम पुत्र राजूराम
25. अणसीदेवी पत्नि मेहराराम
26. उमाराम पुत्र करनाराम
27. खेतू पत्नि गुमनाराम
28. चूनाराम पुत्र पोकराराम
29. चौखाराम पुत्र [illegible]
30. जसोदा [illegible] उमाराम
31. [illegible] पुत्र [illegible]
32. देवीसिंह पुत्र [illegible]मानराम
33. नारणाराम पुत्र गुमनाराम
34. मूलीदेवी पत्नि हनुमानराम
35. मेहराराम पुत्र करनाराम
36. मोहनलाल पुत्र केहनाराम
37. लक्ष्मणराम पुत्र केहनाराम
38. लक्ष्मी पुत्री हनुमानराम
39. वालीदेवी पत्नि केहनाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

जातियान जाट निवासीयान भांभुओं की बेरी, आडेल तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

40. आसूराम पुत्र रावताराम
41. खरथाराम पुत्र रावताराम
42. चूनाराम पुत्र भोमाराम
43. तेजू पत्नि भोमाराम
44. द्रोपों पत्नि रावताराम
45. भूरी पत्नि खीमाराम
46. रिड़मलराम पुत्र खीमाराम
47. हेमाराम पुत्र रावताराम

जातियान राईका निवायीयान भांभुओं की बेरी, आडेल तहसील सिणधरी

48. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण , अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 24.11.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0679 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में [illegible] बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा भांभुओं [illegible] आडेल [illegible] तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा [illegible] हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:30 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

कील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी वर्तमान तहसील नोखड़ा के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी वर्तमान तहसील नोखड़ा के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भांभुओं की बेरी पटवार क्षेत्र आडेल तहसील सिणधरी वर्तमान तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 631/565 रकबा 1.0679 हैक्टेयर कुल रकबा 1.0679 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार नोखड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:23:39 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 24-11-2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी